66

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म. प्र.)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

III/निगरानी/सीधी/भू-रा/2017/3072

1. राजपति यादव उम्र 55 वर्ष (पिता यदुनाथ अहिर
2. वंसपति यादव उम्र 53 वर्ष (
3. सुरेश यादव (पिता स्वर्गीय राजमणि यादव
4. नरेश यादव (

सभी का पेशा खेती एवं मजूदरी सभी निवासी ग्राम डाड़ो, थाना सीधी तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म .प्र)

श्री सुशीलसिंह पाण्डेय ... को द्वारा आज दि. 4/9/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

--------- आवेदकगण

बनाम

1. प्रेमलाल पनिका उम्र 54 वर्ष (सभी के पिता स्वर्गीय तिलकू पनिका
2. सत्येन्द्र पनिका उम्र 50 वर्ष (सभी का पेशा कृषि एवं मजदूरी
3. राजकुमार पनिका उम्र 46 वर्ष (
4. मिठाईलाल पनिका उम्र 42 वर्ष (

सभी निवासी ग्राम बमूरी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

--------- अनावेदक गण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय तहसील - गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.) के प्र.क्र. 1-अ-22-16/17 आदेश दिनांक 28.8.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सीधी/भूरा/2017/3072

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
13-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 01/अ-22/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता कि आवेदक की आपत्ति दिनांक 28.8.17 को निरस्त की जा चुकी है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु एवं प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया है। जिसमें उभयपक्षों को अपना पक्षसमर्थन का अवसर प्राप्त है। उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रकरण कमांक 01/अ-22/2016-17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 28.8.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	